भारत सरकार /Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग /Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र / Variable Energy Cyclotron Centre
सीएचएसएस अनुभाग/CHSS Section

1/ए.एफ., बिधान नगर / 1/AF, Bidhannagar,
कोलकाता/Kolkata–700064.

सं/No.वीईसीसी/VECC/प्रशा./ADMIN/सीएचएसएस/CHSS/2022(3)/ 1639 अक्टूबर/October 12, 2022

परिपत्र/CIRCULAR

विषय :टेलीकंसल्टेशन, मेडिकल शॉप, डायग्नोस्टिक सेंटरों से प्राप्त अहस्ताक्षरित कंप्यूटर बिल की प्रतिपूर्ति पर विचार -के संबंध में।
Sub : Consideration of Teleconsultation Bills, Unsigned Computer–generated bills of Medical shops, Diagnostic centres, for reimbursement-reg.

उपरोक्त मुद्दे पर दिनांक 6 जुलाई, 2022 को आयोजित सीएचएसएस समिति, वीईसीसी, कोलकाता की 72वीं बैठक में चर्चा की गई थी। यह पाया गया है कि सीएचएसएस लाभार्थी एहतियाती उपायों, सुविधा, आदि के कारण फोन / इंटरनेट आदि पर डॉक्टरों (प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टीशनरों) से परामर्श कर रहे हैं, ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान डिजिटल मोड में किया जा रहा है और कंप्यूटर जनित बिल / रसीदें आमतौर पर अहस्ताक्षरित होती हैं, जिसमें उल्लेख रहता है कि यह "कंप्यूटर जनित है और हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है"। कुछ मेडिकल शॉप और डायग्नोस्टिक सेंटर फिजिकल कंसल्टेशन के मामलों में भी ऐसे बिल / रसीद जारी कर रहे हैं और ऐसे दावों को वीईसीसी, लेखा अनुभाग द्वारा हस्ताक्षर नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

The above issue was discussed in the 72nd meeting of the CHSS Committee, VECC, Kolkata held on July 6, 2022. It has been observed that CHSS beneficiaries are consulting doctors (Private Medical Practitioners) over Phone / Internet etc. due to precautionary measures, convenience, etc. Payments for such services are being made in digital mode and the bills / receipts generated are usually unsigned, with a mention that it is "Computer generated and does not require signature". Some medical shops and diagnostic centres are issuing such bills/receipts even in cases of physical consultation also. Such claims are being disallowed by VECC, Accounts Section, for want of signature.

2. इस मामले पर उचित विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि टेली-परामर्श बिल, डॉक्टरों / मेडिकल शॉप / डायग्नोस्टिक सेंटरों के अहस्ताक्षरित, कंप्यूटर जनित बिल, निम्नलिखित शर्तों पर प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार किए जाएंगे:

After due deliberations on the matter, it has been decided that Tele-consultation Bills, Unsigned, Computer-generated bills of Doctors / Medical shops / Diagnostic Centres, will be accepted for reimbursement on the following conditions:

(i) ये अस्पताल/मेडिकल शॉप/डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रिंटेड लेटरहेड पर होना चाहिए न कि केवल सादे कागज पर। यदि यह किसी व्यक्तिगत चिकित्सक का है, तो यह संबंधित डॉक्टर के लेटरहेड पर डॉक्टर के नाम और उसकी पंजीकरण संख्या के साथ होना चाहिए।
These should be on the printed letterhead of the Hospital / Medical shop / Diagnostic centres and not merely on plain paper. In case it is from an individual medical practitioner, it should be on the letterhead concerned Doctor along with the Name of the doctor and his Registration Number.

contd.,

(ii) **इसे प्रमुख लाभार्थी द्वारा BLUE INK में लिखित रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए कि "बिल सही है, और प्रतिपूर्ति के लिए अतीत में, या कहीं और दावा नहीं किया गया था"। असाधारण मामलों में, जैसे कि जहां प्रमुख लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है, उपरोक्त को मौजूदा लाभार्थी द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए प्रमाणित किया जा सकता है।**

The same should be certified by the Prime beneficiary in writing in BLUE INK that "the bill is genuine, and was not claimed in the past, or anywhere else, for reimbursement". In exceptional cases, like where the prime beneficiary has predeceased, the above can be certified by the existing beneficiary for reimbursement.

3. सभी सीएचएसएस लाभार्थियों और अन्य संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त को नोट करें। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त का पालन न करने को सीएचएसएस सुविधा का दुरुपयोग माना जा सकता है।

All CHSS beneficiaries and other concerned officers are requested to kindly note the above. It may please be noted that non-compliance of the above may be treated as misuse of CHSS facility.

4. इसे निदेशक, वीईसीसी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This is issued with the approval of Director, VECC.

कृष्ण कांत 11/x/2022

(वी.एस.एन.वी.आर. कृष्ण कान्त/
V.S.N.V.R. Krishna Kanth)
सहायक कार्मिक अधिकारी (सीएचएसएस)/
Assistant Personnel Officer (CHSS)

<u>सभी नोटिस बोर्ड/All Notice Boards</u>

<u>प्रतिलिपि/Copy to :-</u>

1. निदेशक का कार्यालय, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Director's Office, VECC, Kolkata.
2. सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/
   Heads of Groups/Divisions/Sections, VECC, Kolkata.
3. कोलकाता स्थित प.ऊ.वि. की अन्य इकाइयों के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख/
   Heads of Groups/Divisions/Sections of other DAE Units stationed at Kolkata.
4. प्रशासनिक अधिकारी/Administrative Officer, क्षे.सु.सं.कें-.पू./ RRSC-E, एनआरएससी/NRSC, इसरो/ISRO, कोलकाता/ Kolkata
5. वेतन एवं लेखाअधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Pay & Accounts Officer, VECC, Kolkata.
6. मुख्य परियोजना अभियंता (ईडब्ल्यू), डी.सी.एस.ई.एम., कोलकाता/
   Chief Project Engineer (EW), DCSEM, Kolkata.
7. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Dy. Chief Security Officer, VECC, Kolkata.
8. सहायक निदेशक (राभा), वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Asstt. Director (OL), VECC, Kolkata.
9. क्रय अधिकारी, सी.आर.पी.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata.
10. भंडार अधिकारी, सी.आर.एस.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Stores Officer, CRSU, DPS, Kolkata.
11. सहायक लेखा अधिकारी, सी.आर.ए.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/Assistant Accounts Officer, CRAU, DPS, Kolkata.
12. सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संगठन/Secretary, VECC, Staff Association.
13. सचिव, अणुशक्ति, डॉ.बी.आर. अंबेदकर, एस.सी./एस.टी. कर्मचारी कल्याण संगठन, वीईसीसी /
    Secretary, Anushakti, Dr. B. R. Ambedkar, SC/ST Employees Welfare Association, VECC.